


फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी मांजी लाल विपक्षी पत्नी
 किस्म मुकदमा 212 RT Act पत्रावली संख्या 20/20 सन् _____

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p><u>11/11/25</u> पत्रावली पेज हुई। अधि. उभय पक्ष उप. अधिवादी को परमाप्त अवसर दिये जाने पर श्री अधिवादी द्वारा काउन्टर स्लेट का पत्रावली प्रेष नहीं किया। अतः C/C पत्रावली पेज नहीं करते पर काउन्टर स्लेट के पत्रावली का अवसर बंद किया जाता है। पत्रावली वास्तुतः अद्य 11.12.25 को प्रेष हुई।</p> <p><u>16/12/25</u> वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप <u>बख्त T.I. / C/C पत्रावली</u> के लिये मौका चाहते है। अतः <u>आदेश</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. <u>17/12/25</u> को पूरा हो। (SDO) मावली</p> <p><u>17/12/26</u> पत्रावली पेज हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान अनुपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। समय सांय 5:00 PM हो चुके हैं। स्वयं पक्षकारान एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 से 9, 11 से 13 मय अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विपक्षी संख्या 1 से 9, 11 से 13 का काउन्टर प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पंखी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p>	



सहायक कलक्टर
(SDO) मावली